सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

05 अप्रैल, 2023

सप्तदश विधान-सभा बुधवार, तिथि 05 अप्रैल, 2023 ई0

अष्टम सत्र 15 चैत्र,1945(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय -11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

शांति बनाये रखिये । रीतलाल जी, आप एक मिनट के लिए बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

हां, सूचना आपको पढ़वा देंगे, बैठ जाइए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, आज सत्र का अंतिम दिन है । दिनांक 27 फरवरी से चलने वाले इस सत्र में महोदय विपक्ष द्वारा लोक महत्व के कई गंभीर मुद्दे उठाये गये, कार्यस्थगन दिया गया परंतु सरकार द्वारा किसे मुद्दे पर संज्ञान नहीं लिया गया । महोदय, हद तो तब हो गयी कि सरकार तुष्टीकरण की नीति के तहत नालंदा, सासाराम, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया जिले में निर्दोष हिन्दुओं को फंसाया जा रहा है..

अध्यक्ष: अब स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल: जबकि साम्प्रदायिक दंगा भड़काने वाले अपराधी लोगों को कार्रवाई नहीं की जा रही है । महोदय, मामला चाहे बिहार में हो रहे अपराध का जिसमें बिहार के समस्तीपुर, भोजपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, छपरा, गोपालगंज, सीवान सहित कई जिलों में खुलेआम लोगों की हत्या, बलात्कार, अपहरण, भ्रष्टाचार का मामला, जहरीली शराब का मामला, जेठुली हत्याकांड का मामला । महोदय, हद तो तब हो गयी जब डॉ0 संजय का एक महीना से ज्यादा अपहरण का हो गया है आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ।

अध्यक्ष: अब प्रश्नकाल होगा । अल्पसूचित प्रश्न ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

माननीय सदस्य, श्री सत्यदेव राम आप स्थान ग्रहण कीजिये ।

(व्यवधान जारी)

श्री सत्यदेव राम: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूँ कि रामनवमी के अवसर जो हथियार, तलवार, फरसा लेकर जा रहे हैं उसकी ....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: आपलोग स्थान ग्रहण कीजिये । संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए हैं ।

(व्यवधान जारी)

नेता प्रतिपक्ष को क्या कहना चाहिए उन्होंने कहा । अब किताब लेकर पढ़ियेगा तो किताब पढ़ने की इजाजत नहीं दी जायेगी । नेता प्रतिपक्ष जो कहना चाहते थे कह दिये । अब माननीय मंत्री संसदीय कार्य ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, यह सदन साक्षी है, आसन साक्षी है कि जब कोई जनहित का महत्वपूर्ण मुद्दा उठा है, सरकार हमेशा उस पर स्थिति स्पष्ट करने को तैयार रही है लेकिन इन लोगों की जरा हालत देख लीजिये महोदय..

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: आपकी यही जिम्मेवारी है क्या ? प्रतिपक्ष की यही जिम्मेवारी है ? आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये । इनलोगों का पोस्टर ले लीजिये । श्री प्रेम कुमार माननीय सदस्य ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-92 (श्री प्रेम कुमार, क्षेत्र सं0-230, गया टाउन)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

माननीय सदस्य, श्री प्रेम कुमार आपका अल्पसूचित प्रश्न है ।

श्री प्रेम कुमार: महोदय, हाउस आर्डर में लाइये । सासाराम, बिहारशरीफ, गया में जो दंगा हुआ है, दंगाइयों पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है ।

(व्यवधान जारी)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 93 (श्री संजय सरावगी, क्षेत्र सं0-83 दरभंगा)

(नहीं पूछा गया)

अध्यक्ष: आसन तो कह रहा है कि आप आसन ग्रहण कीजिये । नेता प्रतिपक्ष खुद ही नहीं बैठ रहे हैं तो कैसे उनके दल के लोग जगह पर जायेंगे ।

(व्यवधान जारी)

श्री प्रेम कुमार : हम सरकार से मांग करते हैं सरकार एन0आई0ए0 से इसकी जांच कराये । सासाराम और बिहारशरीफ, गया में रामनवमी के अवसर पर शांतिपूर्वक निकाले गये शोभा यात्रा पर जिस तरह से हमला किया गया है महोदय....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री बोलना चाहते हैं, आप लोग सुनिये । संसदीय कार्य मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, ये कौन सी व्यवस्था है कि ये बोलेंगे और दूसरे को नहीं बोलने देंगे । ये बोल लेंगे, तब इनके सारे सदस्य वेल में आ जायेंगे । आखिर सरकार की बात नहीं सुनी जायेगी क्या ?

अध्यक्ष: इनको मैंने समय दिया नेता प्रतिपक्ष को, इन्होंने बोल लिया उसके बाद से सरकार चाहती थी कुछ जवाब देना लेकिन ये नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, इनके सभी सदस्य वेल में चले आते हैं । यह बहुत गलत परिपाटी है । सरकार की बात को भी इन लोगों को सुननी चाहिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह पूरे सत्र में स्थिति रही है, इनलोगों की कितनी रुचि है, जनता के प्रश्न पर । महोदय, आपने गौर किया होगा कि ये सदन में कितनी देर रहे हैं ? यही इनका चरित्र बताता है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: आपलोगों को संसदीय व्यवस्था में हो-हो कहने की ट्रेनिंग मिली है क्या ? इसी के लिए जनता आपको जिता कर यहां भेजी है ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य, श्री पवन कुमार जायसवाल ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 94 (श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र सं0-21,ढाका)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या-'ख'- 391 (श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, क्षेत्र सं0- 216 जहानाबाद)

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : पूछता हूँ महोदय ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: आप लोग स्थान ग्रहण कीजिये । मैंने तारांकित प्रश्न के लिए श्री सुदय यादव को पुकार दिया है । आपलोग अपनी जगह पर जाइए । आपलोग जगह पर नहीं जाइयेगा।

(व्यवधान जारी)

मैं इजाजत नहीं दूंगा । आपके दवाब पर, मैं इनको समय दूंगा, आप बैठाइए । इनलोगों को कहिये जगह पर जाने के लिए, मैं समय दे रहा हूँ । आपलोग स्थान ग्रहण कीजिये । माननीय नेता प्रतिपक्ष ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्य अपनी अपनी सीट पर चले गये।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, फिर संसदीय कार्यमंत्री जी बीच-बीच में उठ जाते हैं ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः इनकी बात जरूर सुनी जाय, सरकार को कोई एतराज नहीं है लेकिन इसके बाद सरकार की भी बात ये सुनेंगे, ये भी आसन सुनिश्चित करे।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दलः महोदय, आप ट्रेजरी बेंच से गाईड नहीं होइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये । इसके बाद मैं सरकार को भी कहने के लिए कहूंगा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय आसन को सरकार नहीं चला सकती है ।

अध्यक्ष : आपके कहने से भी आसन गाईड नहीं होगा । आप अपना पढ़िये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय संसदीय कार्य मंत्री असत्य कह रहे हैं । कहां गया इसराईल मंसूरी की जांच रिपोर्ट । आपने कभी किसी विषय का संज्ञान नहीं लिया । महोदय, आज हम कह रहे हैं, ये सदन पूरे बिहार के ..

अध्यक्षः आपलोग बैठिये । इनके बाद सरकार भी जवाब देगी और इनको सुनना होगा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, पहले मेरी पूरी बात सुन लें, मैं भी सुनुंगा लेकिन अध्यक्ष महोदय आपसे आग्रह है कि नेता प्रतिपक्ष की बात पूरी होने के पहले माईक बंद कर देना, संसदीय कार्य मंत्री को उठाना यह लोकतंत्र की स्वस्थ परम्परा नहीं है, यह गलत है ।

अध्यक्षः कहीं कोई माईक बंद नहीं करता है । आसन जिनको इजाजत देता है और जो बोलता है उसका माईक चालू किया जाता है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, आज हम पूछ रहे हैं कि डॉ0 का अपहरण हुआ, 33 दिन से ज्यादा हो गए । महोदय, उसका सारा परिवार कल आकर रो रहा था, न्याय चाहिए । सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है । इसराईल मंसूरी के द्वारा जो सहनी के बच्चे की हत्या हुई, सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है, हत्या हुई है ।

अध्यक्ष : सरकार जवाब देगी, आपलोग सुनिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दलः महोदय, नरसंहार हुआ, सरकार का उस पर भी जवाब नहीं है । महोदय विशेष कमिटी की रिपोर्ट एम0के0सी0एल0 की उसका प्रतिवेदन भी सभा पटल पर नहीं रखा गया । (क्रमशः)

टर्न-2/मधुप/05.04.2023

..क्रमशः..

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, जहरीली शराब के मामले में सरकार कही थी कि हम विचार करेंगे, मुख्यमंत्री जी ने उच्च सदन में और यहाँ भी घोषणा की

थी । उस अनाथ बच्चे और उस विधवा का क्या दोष है ? उसपर भी सरकार का जवाब नहीं आया, महोदय ।

आज बालू माफियाओं के द्वारा जिस तरह से गोलियों की बौछार की जा रही है और जिस तरह से पुलिस को खदेड़-खदेड़ कर पीटा जा रहा है, पूरा बिहार ही नहीं, देश देख रहा है । महोदय, सरकार को उसपर भी जवाब देना चाहिए । आज वरीय पदाधिकारियों के द्वारा बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करिये । सरकार का जवाब होगा, बैठिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : उस पर भी सरकार का जवाब नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, मंत्री ईसराइल मंसूरी पर कागज भी आ गया, क्यों मुकदमा नहीं किया गया ?

अध्यक्ष : फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं । जो बात आप बोल रहे हैं, वह बोल जाइये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : शिक्षकों के नियोजन का मामला है, अभियंताओं की नियुक्ति का मामला है । बिहार में बेरोजगार युवकों को रोजगार का मामला है । विभिन्न आयोगों, संवैधानिक संस्थाओं के चहेते भ्रष्ट पदाधिकारियों को हटाने से संबंधित विषय था ।

महोदय, सरकार किसी भी विषय पर सदन में जवाब नहीं दी । आज अंतिम दिन है, आसन से निर्देश हो कि सरकार इन विषयों का जो विपक्ष के द्वारा बिहार की जनता के ज्वलंत समस्याओं को उठाया गया, सरकार उसपर अपना जवाब दे और अंत में कहेंगे कि वर्तमान सरकार को अपराधियों, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण देने का और बचाने का, बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का, हिन्दुओं के निर्दोष लोगों को आप जेल में बंद करते हैं और दंगाइयों को बचाते हैं । यह खेल कहीं नहीं चलेगा । सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब आप बैठ जाइये ।

माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है, सरकार की ओर से आप इसके संबंध में अपना स्पष्ट विचार दें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब देखिये । बैठाइये उनको ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय....

अध्यक्ष : मंत्री जी बोल रहे हैं, आप सुनिये । सरकार जवाब दे रही है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह सदन साक्षी है और आसन भी साक्षी है कि...

श्री जनक सिंह : महोदय, मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए । यह गम्भीर मामला है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप नहीं बैठियेगा ? आप नहीं बैठियेगा ?

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

हटिये वहां से । इनको निकाल बाहर किया जाय ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, स्थगित...

अध्यक्ष : आप अपनी जगह पर जाइये । आप नहीं सुनियेगा ? आपने सुनवाया, उनको बुलाइये। आप स्थान ग्रहण कीजिये । क्या किया जाय ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यही तो मैं कह रहा था ।

अध्यक्ष : आप बोलिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : इनको जवाब से कोई मतलब ही नहीं है । ये सिर्फ अपनी बात कहकर सदन में अव्यवस्था फैलाते हैं ।

(व्यवधान जारी)

देखिये । जरा देखिये ।

अध्यक्ष : आप ले जाइये इनको, सुरक्षाकर्मी ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार को मार्शल-आउट किया गया)

आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये । नेता प्रतिपक्ष की बातों को सुना गया है, अब सरकार की बात को भी आप लोग सुनिये । सरकार की बात को भी सुनिये।

(व्यवधान जारी)

सरकार की बात को भी सुनिये । आप सरकार की भी बात को सुनिये । नेता प्रतिपक्ष की बातों को सुना गया है, आप लोग भी सुनिये ।

(व्यवधान जारी)

माननीय मंत्री, आप अपनी बात कहिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हम तो यही कह रहे थे कि इनको जवाब में कोई रूचि नहीं है । जब सरकार कुछ कहने को खड़ी होती है तो ये अव्यवस्था फैलाते हैं और यह सिर्फ आज की बात थोड़े ही है । महोदय, आपने पूरे सत्र में देखा है कि कोई बात कह देंगे, अव्यवस्था फैलायेंगे और सरकार के कहने की बारी आयेगी तो बाहर चले जायेंगे । यही तो इनका रवैया रहा है ।

(व्यवधान जारी)

आखिर नेता प्रतिपक्ष ने जब तमिलनाडु का मामला उठाते हुये कहा था कि अगर गलत होगा तो हम माफी माँगेंगे, उसका क्या हुआ ? तमिलनाडु के मामले पर दो दिन सदन की कार्यवाही नहीं चली थी और अंत में क्या निकला, महोदय ?

इसलिये पिछले पूरे सत्र में जो भी मामले विधिवत उठाये गये हैं, सबका सरकार ने जिम्मेदारी से जवाब दिया है जिसमें विपक्ष की कोई रूचि नहीं है । वे सुनते नहीं हैं, वह उनकी समस्या है और वह भी जनता देख रही है कि ये सदन में क्या-क्या करते हैं, यह भी जनता देख रही है, महोदय ।

इसलिये सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी पूरी तरीके से मुस्तैद और सफल रही है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुदय यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या-ख-391, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र सं0-216, जहानाबाद)

माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

(व्यवधान जारी)

आप कौन आचरण कर रहे हैं ? क्या बात है ?

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जहानाबाद....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : संसदीय व्यवस्था में यही पढ़ाई आपको करायी गयी है, यही पढ़ायी है ? जनता ने आपको ढोल बजाने के लिए भेजा है या अपनी समस्या का निदान कराने के लिए? ढोल बजाना है तो अपने क्षेत्र में जाकर आप खूब ढोल बजाइये ।

माननीय मंत्री जी ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत प्रश्नगत स्थल जाफरगंज एवं वार्ड नं0 19 बाजार के बीच दरघा नदी पर फुटब्रिज निर्माण हेतु तकनीकी संभाव्यता प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री इजहारूल हुसैन । बोलिये ।

(व्यवधान जारी)

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण फुटब्रिज का डिमांड है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : बरसात के दिनों में जाफरगंज के आवाम को काफी परेशानी होती है । इसीलिये हम सरकार से आग्रह किये थे कि वहाँ पर फुटब्रिज बनाकर जाफरगंज के लोगों को सुविधा प्रदान करें ।

अध्यक्ष : सरकार ने नियमानुसार कार्रवाई करने के लिये अपने जवाब में बताया है । आप स्थान ग्रहण कीजिये ।

(व्यवधान जारी)

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय । ये लोग पूरे बिहार में दंगा कराकर सदन में आकर शांति का संदेश दे रहे हैं ।

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : सबसे बड़ी बात कि ये लोग हिन्दू के ठेकेदार हैं ? जिसके नाम से पूरा...

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये । सरकार ने जवाब दे दिया है ।

श्री इजहारूल हुसैन । आप पूछिये ।

(व्यवधान जारी)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-ग-1471, श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र सं0-54, किशनगंज)</u>

श्री इजहारूल हुसैन : पूछता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड के कोलथा पंचायत में पीपलडांगी मरीया, वार्ड नम्बर 11 में 15वीं वित्त योजना से वित्तीय वर्ष 2021-22 में पंचायत समिति सदस्य के द्वारा चेकडैम का निर्माण कराया गया है ।

अत: उक्त चेकडैम का निर्माण हो जाने के कारण अन्य दूसरे चेकडैम की संभावना प्रतीत नहीं होती है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री इजहारूल हुसैन : पूरक ही पूछ रहा हूँ, सर ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय...

श्री इजहारूल हुसैन : हमारे क्षेत्र में 90 प्रतिशत लोग खेती करते हैं और खेती में भी धान की खेती मुख्य है ।

अध्यक्ष : क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री इजहारूल हुसैन : वहॉं चेकडैम बनवाया जाय, सर । चेकडैम नहीं रहने के कारण पानी पूरा निकल जाता है और धान की खेती खत्म हो जाती है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि कितनी जल्दी वहॉं चेकडैम बनाने का विचार सरकार रखती है?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, मैंने स्पष्ट जवाब दिया कि मरीया वार्ड नम्बर 11 में 15वीं वित्त योजना से चेकडैम का निर्माण कराया गया है और एक ही जगह पर दो चेकडैम

निर्माण करने का कोई औचित्य नहीं है, महोदय । माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उसी से उसका हल निकल जायेगा ।

श्री इजहारूल हुसैन : नहीं सर ।

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करिये ।

श्री इजहारूल हुसैन : महोदय, चेकडैम नहीं रहने के कारण हजारो एकड़ जमीन बर्बाद हो जाती है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री उस चीज को दिखवाने के लिये कहे हैं कि आपकी समस्या का निदान हो जायेगा ।

श्री इजहारूल हुसैन : उसको किया जाय, सर । लोग काफी परेशान हैं, धान की खेती नहीं होती है, चावल नहीं बन पाता है ।

(व्यवधान जारी)

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : बोलिये न ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सदन के अंदर अध्यक्ष जो होते हैं उनकी एक गरिमा होती है और नियमावली है और वे सदन का संचालन करते हैं । वहॉ से माननीय सदस्य के द्वारा यह कहना कि बेशर्म अध्यक्ष, यह कतई असंसदीय शब्द का प्रयोग कि बेशर्म अध्यक्ष इस्तीफा दो, उचित समय पर अविलंब वैसे सदस्यों पर कार्रवाई करना चाहिये । यह संसदीय परम्परा के खिलाफ है ।

अध्यक्ष : इन लोगों का यही आचरण है । अपने आचरण का परिचय दे रहे हैं ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : लेकिन...

अध्यक्ष : इनका आचरण बिहार की जनता देख रही है । यह आसन बेशर्म नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-3/आजाद/05.04.2023

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री रीतलाल राय : अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना पर खड़ा हूँ ।

अध्यक्ष : एक मिनट । आपकी क्या सूचना है ?

श्री रीतलाल राय : अध्यक्ष महोदय, दानापुर विधान सभा के पंचायत मानस पुराना पानापुर एवं कासिमचक को मिलाकर ओ0पी0 नहीं बनाने के कारण लोग सामूहिक आत्मदाह करने जा रहे हैं । उसका मुख्य कारण है कि पत्रांक सं0-280 दिनांक 24.07.2021 के द्वारा सोनपुर प्रखंड, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, सारण जिला के अधिकारी हैं, उनको प्रतिवेदन दिया गया था । उसमें कहा गया था कि कासिमचक पंचायत और पानापुर पंचायत सभी को मिलाकर के एक ओ0पी0 बनावे लेकिन आज तक नहीं बना है । उन लोगों का कहना है कि हमारी सरकार जो बनी है, वह डॉ0 राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति ......

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें । आपने सूचना दी, स्थान ग्रहण करें । आपकी सूचना सुन ली गई है, आप स्थान ग्रहण करें ।

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के जेन्डर बजट पुस्तिका की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के बाल कल्याण बजट पुस्तिका की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के परिणाम बजट पुस्तिका की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव : अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-267 के अन्तर्गत मुझे प्रतिवेदन करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार 399 याचिकायें प्राप्त हुई हैं ।

अध्यक्ष : अब गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे । माननीय सदस्य ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि ध्यानाकर्षण जो हमलोगों का कई बार आया और कई बार विरोधी पक्ष के द्वारा हल्ला-हंगामा करने पर वह नहीं आ सका । हम चाहेंगे और आसन से आग्रह करेंगे कि वह ध्यानाकर्षण समिति में चला जाय और सारे गैर सरकारी संकल्पों को भी समिति में भेज दिया जाय हुजूर ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा क्यों ? हम हाऊस में आये हुए हैं और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि गैर सरकारी संकल्प को समिति में भेज दिया जाय। हाऊस चले 5 बजे तक महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदन के सदस्य के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया है और आज चूँकि अंतिम दिन है और इसी में शोक प्रकाश भी होना है, बहुत सारे माननीय सदस्य नहीं रहे, शोक संतप्त परिवार के सांत्वना के लिए उनका भी शोक प्रकट करना है । साथ ही साथ आज सदन की समाप्ति हो रही है, इसपर आसन के द्वारा भी आप लोगों को धन्यवाद देने का कार्यक्रम है । इसलिए बिहार विधान सभा में जितने संकल्प आये हैं, उस संकल्प को और शून्य काल को भी, ध्यानाकर्षण को भी ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द किया जाता है कार्रवाई के लिए तथा गैर सरकारी संकल्प को भी गैर सरकारी संकल्प समिति को स्थानान्तरित किया जाता है कार्रवाई के लिए ।

(व्यवधान)

अब आपलोग बैठिए । शोक प्रकाश ।

शोक-प्रकाश

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि सत्र का समापन करूँ, इस सत्रावधि में कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके प्रति शोक प्रकट करना हमारा कर्त्तव्य है :-

स्वर्गीय बुद्धन प्रसाद यादव

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री बुद्धन प्रसाद यादव का निधन दिनांक 02 मार्च, 2023 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 80 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय यादव सारण जिला के मांझी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985 एवं 1995 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय रामायण मांझी

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रामायण मांझी का निधन दिनांक 06 मार्च, 2023 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 66 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय मांझी सिवान जिला के मैरवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से नवम्बर, 2005 तथा दरौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2010 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे एक लोकप्रिय व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय रंजीत सिंह

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रंजीत सिंह का निधन दिनांक 25 मार्च, 2023 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 80 वर्ष की थी

स्वर्गीय सिंह गया जिला के अतरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985 एवं वर्ष 1990 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे चतरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय नीरज कुमार

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री नीरज कुमार का असामयिक निधन दिनांक 03 अप्रील, 2023 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 53 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय कुमार कटिहार जिला के बरारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2015 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

अध्यक्ष : अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें ।

(एक मिनट का मौन)

मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजवा दूँगा ।

टर्न-4/शंभु/05.04.2023

समापन भाषण

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधान सभा का अष्टम सत्र दिनांक 27 फरवरी, 2023 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 05 अप्रील, 2023 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल-20 (बीस) बैठकें हुई ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर खड़े हो गये ।)

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 27 फरवरी, 2023 को महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान मंडल के एक साथ समवेत बैठक में दोनों सदनों के सदस्यों को विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल में संबोधित किया गया एवं अन्य बैठकें सभावेश्म में हुई । सप्तदश बिहार विधान सभा के सप्तम सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 06 (छ:) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया । उसी दिन प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति भी सदन पटल पर रखी गयी । कुल-12 (बारह) जननायकों के निधन के प्रति शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक 28 फरवरी, 2023 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक को सदन में उपस्थापित करते हुए बजट भाषण दिया गया।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य, श्री भूदेव चौधरी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक 28 फरवरी, 2023 को वाद-विवाद प्रारम्भ हुआ और यह दिनांक 01 मार्च, 2023 को भी जारी रहा । जारी वाद-विवाद का उत्तर दिनांक 01 मार्च, 2023 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विस्तारपूर्वक दिया गया तत्पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 02 मार्च, 2023 को प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया ।

दिनांक 03 मार्च, 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक पर दिनांक 02 मार्च, 2023 से जारी सामान्य विमर्श का उत्तर श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा विस्तारपूर्वक दिया गया ।

दिनांक 06 मार्च, 2023 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई एवं शेष माँगे गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई । तत्पश्चात संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक से संबंधित नौ अनुदानों की माँगे सदन में विमर्श के उपरान्त स्वीकृत हुए एवं दिनांक 24 मार्च, 2023 को आय-व्ययक में सम्मिलित शेष अनुदानों की माँगे गिलोटिन (मुखबंध) के द्वारा स्वीकृत हुए । तदुपरान्त संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 31 मार्च, 2023 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' की प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा प्रतिवेदनों को बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 05 अप्रील, 2023 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के जेन्डर बजट पुस्तिका, बाल कल्याण बजट पुस्तिका एवं परिणाम बजट पुस्तिका की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :-

1) बिहार विनियोग विधेयक, 2023.

2) बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023.

3) बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक, 2023.

4) आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (एनेबलिंग) (संशोधन) विधेयक, 2023.

सत्र के दौरान कुल-4646 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 3888 प्रश्न स्वीकृत हुए । इन स्वीकृत 3888 प्रश्नों में कुल-94 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 85 के उत्तर प्राप्त हुए, कुल-3259 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 2681 के उत्तर प्राप्त हुए । साथ ही 535 प्रश्न अतारांकित हुए । सरकार की संवेदनशीलता से लगभग सभी विभागों ने प्रश्नों का शत-प्रतिशत उत्तर दिया ।

इस सत्र में कुल-370 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 38 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए, 320 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये तथा 12 अमान्य हुए ।

इस सत्र में कुल-822 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 799 स्वीकृत हुए एवं 23 अस्वीकृत हुए । कुल-424 याचिकाएं प्राप्त हुई, जिनमें 399 स्वीकृत एवं 25 अस्वीकृत हुई । इस सत्र में कुल-288 गैर सरकारी संकल्प की सूचना प्राप्त हुई ।

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के कतिपय मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली, अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

माननीय सदस्यगण, सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य

दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं ।

समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूं ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वह्न किया है इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब बिहार राज्य गीत होगा । कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ।

(बिहार गीत)

माननीय सदस्यगण, परम्परानुसार आज बजट सत्र की समाप्ति पर मेरे सरकारी आवास 2, देशरत्न मार्ग में आप सबके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन है । कृपया आप सभी जरूर आईएगा ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।